रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1961] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2017/आषाढ़ 21, 1939
No. 1961] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2017/ASADHA 21, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

का.आ. 2202(अ).—भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 119(अ) तारीख 14 जनवरी, 2016, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड सं (ii) में उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है,जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना अन्तर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 24 फरवरी, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में सभी व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रुप से विचार किया गया;

और, जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य एक अद्वितीय आर्द्रभूमि पर्यावरण-प्रणाली है जो 22°32' उ, 70° 08' पू में महाराष्ट्र राज्य के जिला ओरंगाबाद और अहमदनगर में अवस्थित है और 341.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है ।

और, यह अभयारण्य मछलियों की 67 प्रजातियों, आवासीय और प्रवासी पक्षियों की 234 प्रजातियों का आश्रय स्थल है, जिन्हें बांध के खुले जल भागों से दर्ज किया गया है और इस क्षेत्र से 215 टेक्सा, एंजियॉस्पर्म की 17 प्रजातियों और 2 पिटेरीडोफाइट प्रजातियों को भी दर्ज किया गया है ।

और इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में पारिस्थितिक और पर्यावरण की दृष्टि से जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और उक्त पारिस्थितिक जोन में उद्योग या उद्योगों के वर्गों को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य की सीमा से 0 से 500 मीटर के विस्तार के क्षेत्र को जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य की सीमा से 0 से 500 मीटर के विस्तार पर 141.05 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है और ऐसे जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध** I के रूप में दिया गया है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र इसकी सीमाओं के विवरण के साथ **उपाबंध IIक और उपाबंध IIख** के रूप में उपाबद्ध है ।

(3) जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू- निर्देशांक उपाबंध **III क** और **उपाबंध IIIख** के रूप में उपाबद्ध है ।

(4) पारिस्थितिक संवेदी जोन महाराष्ट्र के जिला ओरंगाबाद और अहमदनगर के 100 ग्रामों तक फैला हुआ है । पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची के साथ मुख्य बिन्दुओं का निर्देशांक **उपाबंध IV** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आचंलिक महायोजना सभी संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारणों को उनमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन और वन्यजीव ;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधो के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग .**(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

(ख) परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, तथा इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, तथा ऐसे क्रियाकलापों के लिए जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) अवसंरचना और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भण्डार और पारिस्थितिक पर्यटन में सहायक स्थानीय सुविधाए जिसमें गृह वास भी है; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और जिन्हे पैरा 7 के अधीन दिया गया है:

(ग) परन्तु यह और कि जनजातीय भूमि का कोई उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, के उपबंधों के अनुपालन के बिना, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा:

(घ) परंतु यह भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

(ड़) परंतु यह और भी कि ऊपर निर्दिष्ट त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(च) परन्तु हरित क्षेत्र जैसे कि वन क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में पारिणामिक कभी नही होगी तथा वनरोपण और वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों वाले अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

IndiaCode

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे जिससे कि उन क्षेत्रों में या इसके समीप विकास क्रियाकलाप को रोका जा सके जो ऐसे क्षेत्र के लिए हानिकारक हैं।

(3) **पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नये और विद्यमान पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

(ख) पर्यटन महायोजना राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग के परामर्श से तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में होगी।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) होटलों और रिर्सोटों का नया संनिर्माण जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य की सीमा से 1 कि.मी. के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। तथापि, वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 1 कि.मी. की दूरी से परे, पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नए होटलों और रिर्सोटों की स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व सीमांकित और पदाभिहित क्षेत्रों में ही अनुज्ञात की जाएगी।;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिकी पर्यटन पर बल देते हुए होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ मास के भीतर उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए विरासत संरक्षा योजना तैयार की जाएगी तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के प्रसीमा और क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छ मास के भीतर उनमें संरक्षण के लिए विरासत योजना तैयार की जाएगी और योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** – पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण** -- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियम के उपबंधों के अनुसार वायु प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान तथा प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) जैविक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर स्वीकार्य रीति में किया जाएगा।

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति से विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 जारी मार्गनिर्देशों भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना में उद्योगो की वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर अनुमति दी जाएगी,जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो ।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अधीन:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध विनियमित तथा प्रोन्नत किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उसके अधीन बनाए गए नियमों उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
1	2	3
	क. **प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप**	
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी नए एवं विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा ध्वनि आदि) कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) और पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए उद्योग और विद्यमान प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति नही दी जाएगी। (ख) इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट के सिवाय केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी 2016, में जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों मेंउद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केवल गैर प्रदुषणकारी उद्योग का स्थापन अनुसार किया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए सामान्य भष्मीकरण की सुविधा।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नया ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचार/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है। औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापनअस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के किसी भी प्रकार के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भष्मीकरण की सुविधा का संस्थापन प्रतिषिद्ध है।
7.	फर्मों, कंपनियों आदि द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन,	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

	माइक्रोलाइटस और आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	
11.	संचालित या मोटर चालित नौका सेवाएं।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
	ख.	**विनियमित क्रियाकलाप**
12.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों का स्थापन।	पारिस्थितिक अनुकू पर्यटन क्रियाकलाप के लिए लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को संरक्षित क्षेत्र की सीमा के एक कि.मी. के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर से परे या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, जो भी निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार यथा लागू पर्यटन महायोजना तथा मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे।
14.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदुषण नियत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगो के वर्गीकरण के अनुसार और पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, उद्यान कृषि, पुष्प कृषि या देशीय सामग्री से उत्पादों का उत्पादन करने वाले कृषि आधारित उद्योग को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन में या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी।
16.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों (एन टी एफ टी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों बिछाना तथा अन्य बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
18.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार किया जाएगा।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण।	न्यूनीकरण की उपायों के साथ, लागू विधियों नियमों और विनियमों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतो के अनुसार किया जाएगा।

20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
21.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
22.	स्थानीय समुदायों द्वारा चलाई जा रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
23.	प्राकृतिक जल निकायों भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्रावों का निस्सारण ।	उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्रावों के निस्सारण को जल निकायों में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा जल उपचारित अपशिष्ट जल के पुनचक्रण और पुन: उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयास लागू विधियों के अनुसार उपचारित अपशिष्ट जल/ बहिर्स्राव का निस्सारण विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
25.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित और प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	पारिस्थितिक-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
29.	पोलिथीन बैगों का उपयोग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पॉलिथीन बैग के उपयोग की अनुमति है। तथापि विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर, यह लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
30.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग. **संवर्धित क्रियाकिलाप**	
31.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रुप से बायो गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	पारिस्थितिक-अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
40.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार पारिस्थितिक संवेदी जोन की मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन किया गया, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:--

(क) जिला कलक्टर, औरंगाबाद - अध्यक्ष

(ख) जिला कलक्टर, अहमदनगर का प्रतिनिधि - सदस्य

(ग) जिला परिषद ओरंगाबाद का एक प्रतिनिधि - सदस्य

(घ) जिला परिषद अहमदनगर का एक प्रतिनिधि - सदस्य

(ङ) गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा – सदस्य

(च) पारिस्थितिक और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए नाम निर्दिष्ट किया जाएगा - सदस्य ;

(छ) क्षेत्रीय अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - सदस्य

(ज) राज्य जैव-विविधता बोर्ड का सदस्य -सदस्य;

(झ) ज्येष्ठ नगर योजनाकार - सदस्य

(ञ) उप वन संरक्षक, अहमदनगर – सदस्य

(ट) उप वन संरक्षक, ओरंगाबाद – सदस्य-सचिव

6. निर्देश निबंधन :

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) मानीटरी समिति का कार्यकाल अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित कलक्टर या संबंधित उद्यान के उप-वन संरक्षक, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधि मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** पर उपाबद्ध प्रारूप पर 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/17/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं का विवरण

उत्तर: औरंगाबाद जिले के तहसील गंगापुर और पैठन के गांव

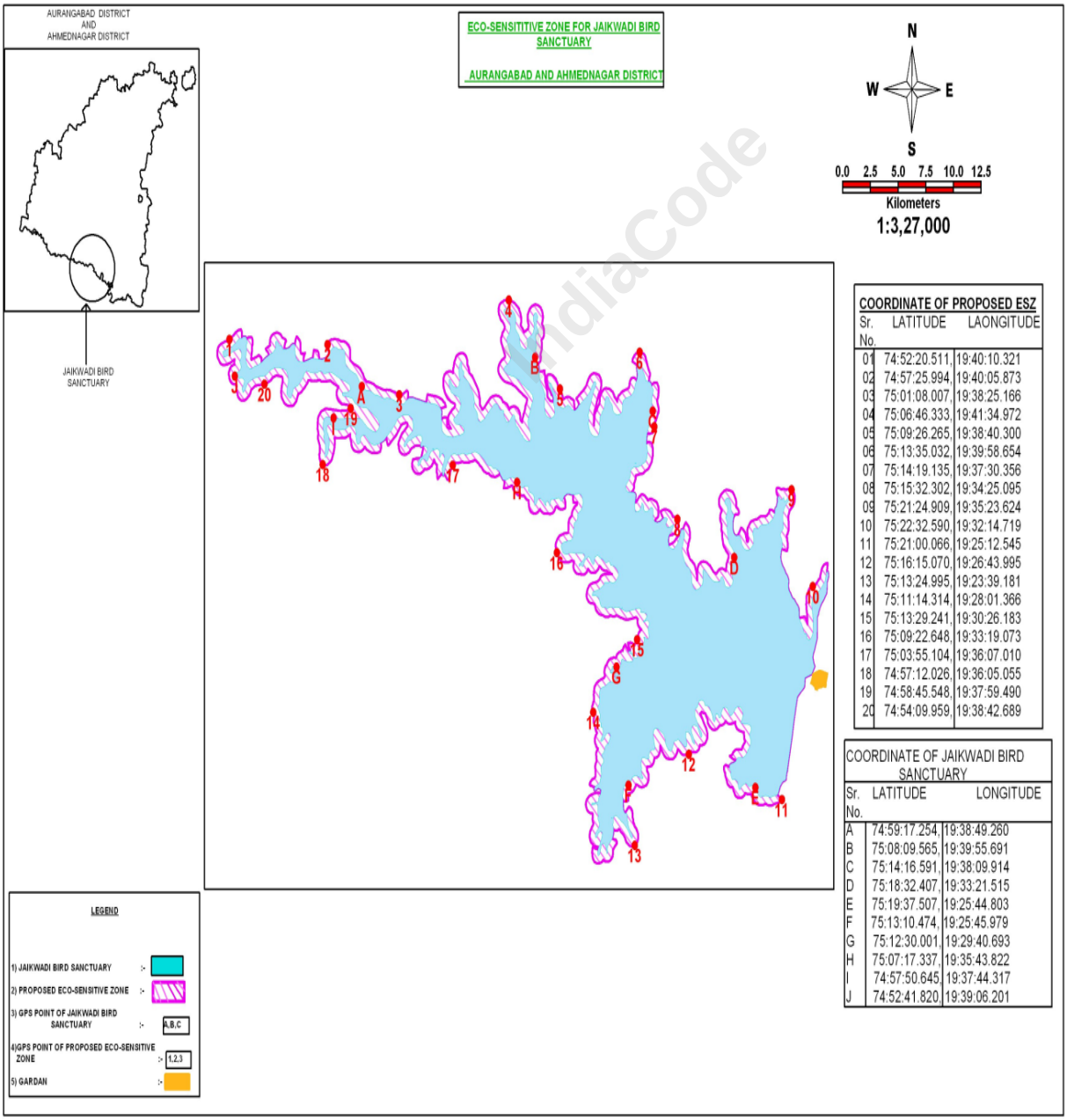
पूर्व: पैठन शहर उद्याननेश्वध्या,

दक्षिण: औरंगाबाद जिले के तहसील पैठन के गांव और अहमदनगर जिले के तहसील शिवगांव, नेवासा के गांव

पश्चिम: औरंगाबाद जिले के तहसील गंगापुर के गांव और अहमदनगर जिले के तहसील नेवासा के गांव

उपाबंध-II-क

पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य का मानचित्र



COORDINATE OF PROPOSED ESZ

Sr. No.	LATITUDE	LAONGITUDE
01	74:52:20.511	19:40:10.321
02	74:57:25.994	19:40:05.873
03	75:01:08.007	19:38:25.166
04	75:06:46.333	19:41:34.972
05	75:09:26.265	19:38:40.300
06	75:13:35.032	19:39:58.654
07	75:14:19.135	19:37:30.356
08	75:15:32.302	19:34:25.095
09	75:21:24.909	19:35:23.624
10	75:22:32.590	19:32:14.719
11	75:21:00.066	19:25:12.545
12	75:16:15.070	19:26:43.995
13	75:13:24.995	19:23:39.181
14	75:11:14.314	19:28:01.366
15	75:13:29.241	19:30:26.183
16	75:09:22.648	19:33:19.073
17	75:03:55.104	19:36:07.010
18	74:57:12.026	19:36:05.055
19	74:58:45.548	19:37:59.490
20	74:54:09.959	19:38:42.689

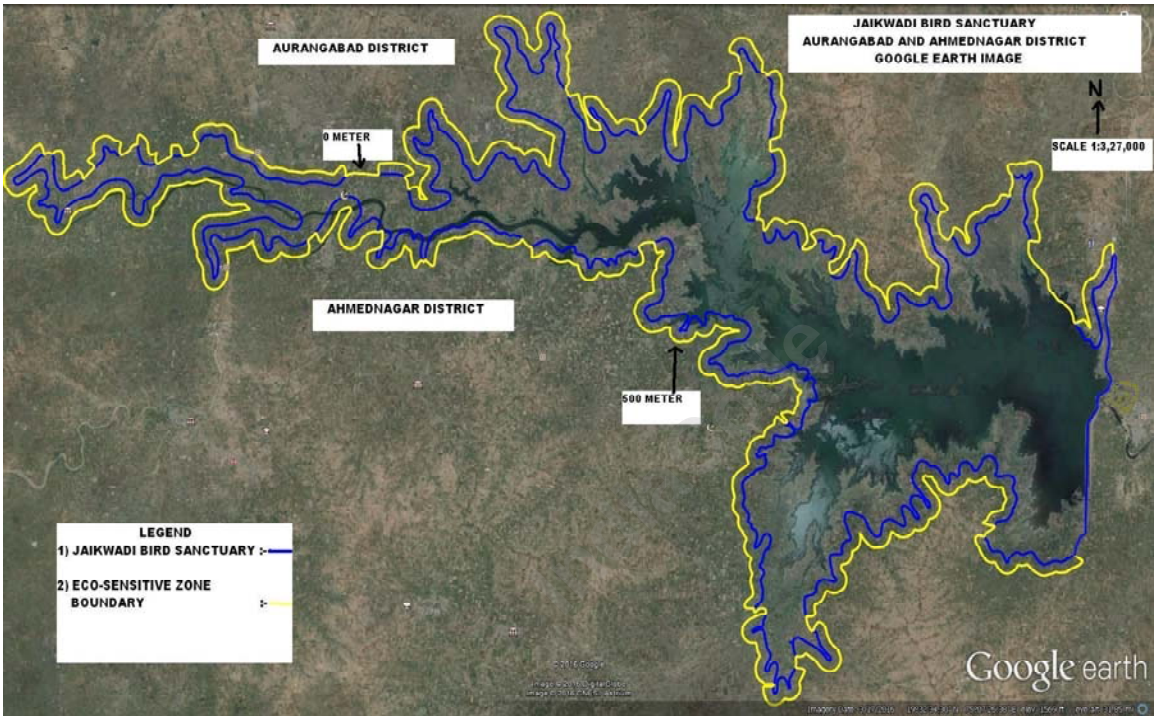
COORDINATE OF JAIKWADI BIRD SANCTUARY

Sr. No.	LATITUDE	LONGITUDE
A	74:59:17.254	19:38:49.260
B	75:08:09.565	19:39:55.691
C	75:14:16.591	19:38:09.914
D	75:18:32.407	19:33:21.515
E	75:19:37.507	19:25:44.803
F	75:13:10.474	19:25:45.979
G	75:12:30.001	19:29:40.693
H	75:07:17.337	19:35:43.822
I	74:57:50.645	19:37:44.317
J	74:52:41.820	19:39:06.201

उपाबंध-II-ख

पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य का मानचित्र

PA and ESZ Boundaries



PA Area 339.79 sq.km. ESZ Area 141.05 sq.km.

उपाबंध **-III-क**

जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य, महाराष्ट्र के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
क.	74:59:17.254	19:38:49.260
ख.	75:08:09 565	19:39:55 691
ग.	75 14 16.591	19 38 09 914
घ.	75:18:32 407	19 33 21 515
ङ.	75:19:37 507	19:25:44 803
च.	75:13 10 474	19 25 45 979
छ.	75 12 30.001	19 29:40 693
ज.	75:07:17.337	19 35 43.822
झ.	74:57:50.645	19:37:44 317
ञ.	74 52.41 820	19 39:06 201

उपाबंध -III-ख

जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य, महाराष्ट्र के पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1)	74:52:20 51 1	19:40 05 873
2)	74:57 25 994	19:40 05 873
3)	75:01:08 007	19:40 05 873
4)	75:06:46.333	19:40 05 873
5)	75:09:26.265	19:40 05 873
6)	75:13:35 032	19:40 05 873
7)	75:14 19 135	19:40 05 873
8)	75:15:32.302	19:40 05 873
9)	75:21:24 909	19:40 05 873
10)	75:22 32 590	19:40 05 873
11)	75:21 00 066	19:40 05 873
12)	75:16:15.070	19:40 05 873
13)	75:13:24 995,	19:40 05 873
14)	75:11 14 314	19:40 05 873
15)	75:13:29.241.	19:40 05 873
16)	75:09:22648	19:40 05 873
17)	75:03 55 104	19:40 05 873
18)	74:57:12 026	19:40 05 873
19)	74:58:45.548	19:40 05 873
20)	74:54 09 959	19:40 05 873

उपाबंध- IV

भू-निर्देशांकों के साथ जायकावाड़ी पक्षी अभयारण्य के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	तहसील	ग्राम
1	**पैठन**	मूढ़लवाडी
2		डलवाडी
3		पिंपलवाडी पीराच्छी
4		ईसारवाडी
5		बोरगांव
6		टक्लिपैठन
7		ढाकेफल
8		चौर्याहत्तर जलगांव
9		खमज़लगांव
10		औरंगपुर बूट्टेवाडी
11		बालापुर

12		मूलानिवडगांव
13		मवस्गवन
14		ब्रह्मगवन
15		औरंगापुर
16		तुलापुर
17		अमरापुर
18		तरु पिंपरवाडी
19		विजयपुर
20		शेवता
21		मनकापुर
22		जोगेश्वरी
23		लमगवन
24		नारले
25	**गंगापुर**	शिवपुर
26		मांडवा
27		पंढरोहल
28		बोरोड़ी
29		तालपिम्परी
30		शंकरपुर
31		मानेगांव
32		देवकरवाडी
33		ज़ंज़ार्डी
34		नंदराबाद
35		पुरी
36		कोडापुर
37		सोलेगांव
38		हनुमंतगांव
39		पखोरा
40		भिवधनोरा
41		गणेशवाडी
42		भेंडाला
43		अमालनेर
44		काईगांव
45		जमगांव
46	गंगापुर	बागाडी

IndiaCode

47		मम्डापुर
48		अगरकनडगांव
49		नेवेरगांव
50		हैबतपुर
51		अगरवडगांव
52		सुल्तानपुर
53		तंडुलवाडी
54		सवखडा
55		वज़र
56		महालक्ष्मीखेडा
57		लखामापुर
58		गलनिंब
59	नेवसा	जैनपुर
60		बेलपंढारी
61		उस्थलखलसा
62		भालगांव
63		घोएडेगांव
64		धमोरी
65		मूरमे
66		बाकू पिंपलगांव
67		टोका
68		मालेवडी ख़लसा
69		प्रवारा संगम
70		महलपुर
71		खेदलेकजली
72		मंगलपुर
73		सुरेगांव टर्फ डाहीगांव
74		गल्लिम्ब
75		वार्खेड
76		राम्डोह
77		गोपालपुर
78		खमगांव
79		न्हाली
80		हिंगागांव
81		वाशिम
82		गाप
83	शिवगांव	गंगापुर

IndiaCode

84		निमभारी
85		डेवलाना
86		डाहीगांव
87		घेवरी
88		भवानी निमगांव
89		अंट्रे
90		डाडेगांव
91		तजनापुर
92		खुंटेफल
93		बोडखे़
94		करज़ट केडी
95		धोरहिंगनी
96		डाहीफल
97		एरंडगांव
98		खानापुर
99		करहे तकली
100		ढोलसाडे

उपाबंध- V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2017

S.O. 2202(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change number S.O. 119(E), dated the 14th January, 2016, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

IndiaCode

AND WHEREAS, copily of the Gazette containing the draft notification were made available to the public on the 24th February, 2016;

AND WHEREAS, objections and suggestions received from all persons and stakeholders in response to the draft notification have been duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, Jaikawadi Bird Sanctuary is a unique wetland eco-system located in 22°32' N, 70° 08' E in Aurangabad and Ahmadnagar districts of Maharashtra and is spread over an area of 341.05 square kilometers;

AND WHEREAS, said the Sanctuary harbors 67 species of fishes, 234 species of resident and migratory birds which have been recorded from the open water stretches of the dam and 215 taxa, 17 species of angiosperms and 2 pteridophyte species have also been recorded from the area;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the areas, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Jaikawadi Bird Sanctuary as Eco- sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0 to 500 meters from the boundary of Jaikawadi Bird Sanctuary in the State of Maharashtra as the Jaikawadi Bird Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:—

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.—(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 141.05 square kilometers with an extent varying from 0 to 500 meters from the boundary of Jaikawadi Bird Sanctuary and the boundary description of the said Zone is given in **Annexure I.**

(2) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details is appended as **Annexure II-A and Annexure II-B.**

(3) The geo-coordinates of the Jaikawadi Bird Sanctuary and Eco-sensitive Zone are offended on **Annexure III-A** and **Annexure III-B**.

(4) The Eco-sensitive Zone is spread across 100 villages in Aurangabad and Ahmadnagar District of Maharashtra and the list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure IV**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.—(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan:

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipal ;

(x) Panchayati Raj ; and

(xi) Public Works Department.

IndiaCode

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.—**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.—**

(a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

(b) Provided that the conversion of agricultural and other lands, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local and for activities residents and for activities such as-

(i). widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii). construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii). small scale industries not causing pollution;

(iv). cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v). promoted activities and given in paragraph 4:

(c) Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

(d) Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

(e) Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

(f) Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.—**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.—**(a) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within 1 kilometer from the boundary of the Jaikawadi Bird Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that beyond the distance of 1 kilometer from the boundary of the said Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee

(4) **Natural Heritage.- Natural Heritage—**All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation with sex months from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.—**Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared with sex months from the date of publication of this notification in the official Gazette and such plan shall form part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.—**Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) **Air pollution.—**Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.—**Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.—**Disposal and management of solid wastes shall be as under:—

(i) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357(E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;

(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.—**Bio medical waste management shall be as under:—

(i) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.

(ii) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**.—The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehiculars Pollution.**—Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management.—**The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of

Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(14) Construction and demolition waste management.—The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste—The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) Industrial units.—(i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.—The protection of hill slopes shall be as under:—

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. **Prohibited, regulated and promoted activities.—**All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consulfition. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries shall be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, otherwise so specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall be permitted within Eco-sensitive Zone, and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies. etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.

8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
10.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Propelled or motorised boating services.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
13.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
14.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the Competent Authority.
15.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
16.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).
18.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.

20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
23.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
25.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be strictly monitored by the authority.
26.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
27.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
28.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws
29.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags are permitted within the Eco Sensitive Zone, however, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
30.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
31.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
32.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
33.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
34.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
35.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light etc. to be actively promoted
36.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.—The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the comprising of the following, namely:—

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(a)	District Collector, Aurangabad	Chairman;
(b)	Representative of District Collector, Ahmadnagar	Member;
(c)	A representative of Zilla Parishad, Aurangabad	Member;
(d)	A representative of Zilla Parishad, Ahmadnagar	Member;
(e)	One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three year in each case	Member;
(f)	one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Maharashtra for a term of three year in each case	Member;
(g)	The Regional Officer, Maharashtra State Pollution Control Board,	Member;
(h)	Member State Biodiversity Board	Member;
(i)	The Senior Town Planner	Member;
(j)	The Deputy Conservator of Forest Ahmadnagar	Member;
(k)	The Deputy Conservator of Forest Aurangabad	Member Secretary.

6. **Terms of reference:**

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the monitoring committee shall be for three years from date of publication of this notification in the official Gazette.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/17 /2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY

North: Villages of Tehsil. Gangapur and Paithan of Augangabad District.

East: Paithan Town, Dynaneshwar Udyan.

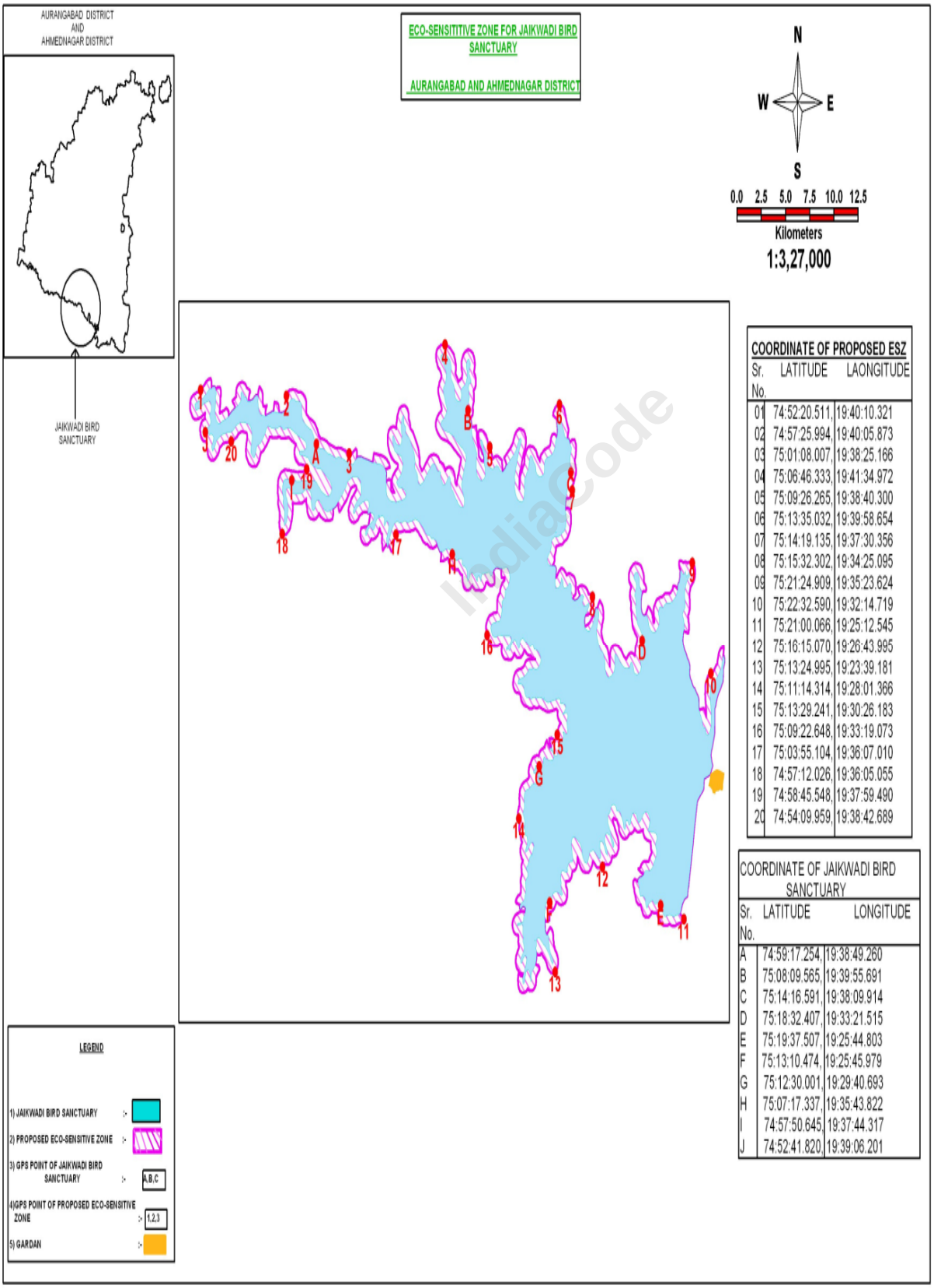
South: Villages of Tehsil Paithan of Aurangabad District and Villages of Tehsil Shevgaon, Nevasa of Ahamadnagar District.

West: Villages of Tehsil Gangapur of Aurangabad District and Villages of Tehsil Newasa of Ahamadnagar District.

IndiaCode

ANNEXURE- II-A

MAP OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY ALONG WITH ITS ECO-SENSITIVE ZONE



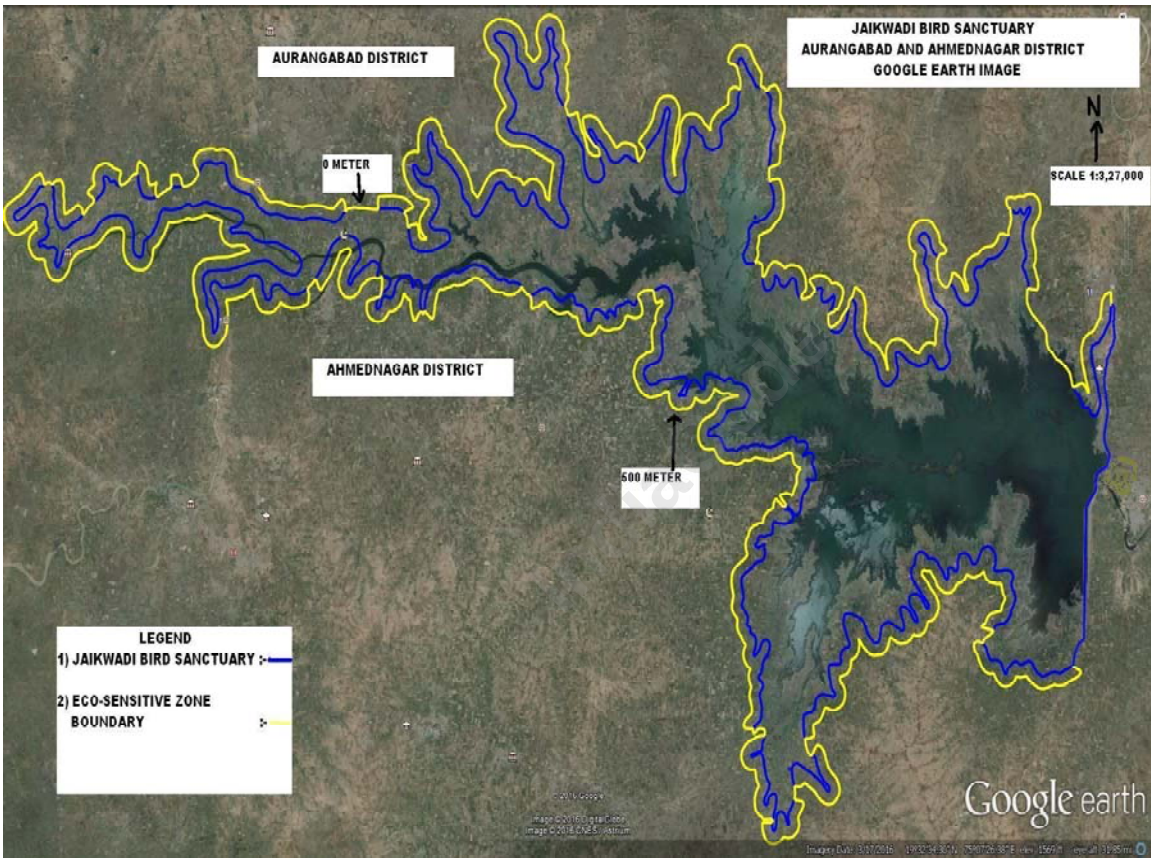
COORDINATE OF PROPOSED ESZ		
Sr. No.	LATITUDE	LAONGITUDE
01	74:52:20.511,	19:40:10.321
02	74:57:25.994,	19:40:05.873
03	75:01:08.007,	19:38:25.166
04	75:06:46.333,	19:41:34.972
05	75:09:26.265,	19:38:40.300
06	75:13:35.032,	19:39:58.654
07	75:14:19.135,	19:37:30.356
08	75:15:32.302,	19:34:25.095
09	75:21:24.909,	19:35:23.624
10	75:22:32.590,	19:32:14.719
11	75:21:00.066,	19:25:12.545
12	75:16:15.070,	19:26:43.995
13	75:13:24.995,	19:23:39.181
14	75:11:14.314,	19:28:01.366
15	75:13:29.241,	19:30:26.183
16	75:09:22.648,	19:33:19.073
17	75:03:55.104,	19:36:07.010
18	74:57:12.026,	19:36:05.055
19	74:58:45.548,	19:37:59.490
20	74:54:09.959,	19:38:42.689

COORDINATE OF JAIKWADI BIRD SANCTUARY		
Sr. No.	LATITUDE	LONGITUDE
A	74:59:17.254,	19:38:49.260
B	75:08:09.565,	19:39:55.691
C	75:14:16.591,	19:38:09.914
D	75:18:32.407,	19:33:21.515
E	75:19:37.507,	19:25:44.803
F	75:13:10.474,	19:25:45.979
G	75:12:30.001,	19:29:40.693
H	75:07:17.337,	19:35:43.822
I	74:57:50.645,	19:37:44.317
J	74:52:41.820,	19:39:06.201

ANNEXURE-II-B

MAP OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY ALONG WITH ITS ECO-SENSITIVE ZONE

PA and ESZ Boundaries



PA Area 339.79 sq.km. ESZ Area 141.05 sq.km.

ANNEXURE-III-A

THE GEO-COORDINATES OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY, MAHARASHTRA

Sr. No.	Latitude	Longitude
A.	74:59:17.254	19:38:49.260
B.	75:08:09 565	19:39:55 691
C.	75 14 16.591	19 38 09 914
D.	75:18:32 407	19 33 21 515
E.	75:19:37 507	19:25:44 803
F.	75:13 10 474	19 25 45 979
G.	75 12 30.001	19 29:40 693
H.	75:07:17.337	19 35 43.822
I.	74:57:50.645	19:37:44 317
J.	74 52.41 820	19 39:06 201

ANNEXURE-III-B

THE GEO-COORDINATES OF ECO-SENSITIVE ZONE OF JAIKAWADI BIRD SANCTUARY, MAHARASHTRA

Sr. No.	Latitude	Longitude
1)	74:52:20 51 1	19:40 05 873
2)	74:57 25 994	19:40 05 873
3)	75:01:08 007	19:40 05 873
4)	75:06:46.333	19:40 05 873
5)	75:09:26.265	19:40 05 873
6)	75:13:35 032	19:40 05 873
7)	75:14 19 135	19:40 05 873
8)	75:15:32.302	19:40 05 873
9)	75:21:24 909	19:40 05 873
10)	75:22 32 590	19:40 05 873
11)	75:21 00 066	19:40 05 873
12)	75:16:15.070	19:40 05 873
13)	75:13:24 995,	19:40 05 873
14)	75:11 14 314	19:40 05 873
15)	75:13:29.241.	19:40 05 873
16)	75:09:22648	19:40 05 873
17)	75:03 55 104	19:40 05 873
18)	74:57:12 026	19:40 05 873
19)	74:58:45.548	19:40 05 873
20)	74:54 09 959	19:40 05 873

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING WITHIN THE ECO-SENSITIVE ZONE OF GAGA SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Sl. No.	Tehsil	Village
1	**Paithan**	Mudhalwadi
2		Dalwadi
3		Pimpalwadi Pirachi
4		Isarwadi
5		Borgaon
6		Takli Paithan
7		Dhakephal
8		Chauryahattar Jalgaon
9		Khamjalgaon
10		Aurangpur Buttewadi
11		Balapur
12		Mulaniwadgaon
13		Mavasgavan
14		Brhmagavan
15		Aurangapur
16		Tulapur
17		Amrapur
18		Taru Pimparwadi
19		Vijaypur
20		Shevata
21		Mankapur
22		Jogeshwari
23		Lamgavan
24		Narle
25	Gangapur	Shivpur
26		Mandva

27		Pandharohal
28		Borodi
29		Talpimpri
30		Shankarpur
31		Manegaon
32		Devkarwadi
33		Zanzardi
34		Nandrabad
35		Puri
36		Kodapur
37		Solegaon
38		Hanumantgaon
39		Pakhora
40		Bhiwdhanora
41		Ganeshwadi
42		Bhendala
43		Amalner
44		Kaigaon
45		Jamgaon
46	Gangapur	Bagadi
47		Mamdapur
48		Agarkanadgaon
49		Nevergaon
50		Haibatpur
51		Agarwadgaon
52		Sultanpur
53		Tandulwadi
54		Savkhada
55		Wazar
56		Mahalaxmikheda
57		Lakhamapur
58		Galnimb
59	Newasa	Jainpur
60		Belpandhari
61		Usthalkhalsa
62		Bhalgaon
63		Ghoedegaon
64		Dhamori
65		Murme
66		Baku Pimpalgaon
67		Toka
68		Malewadi Khalsa
69		Prawara sangam
70		Mahalpur
71		Khedlekajali
72		Mangalapur
73		Suregaon Turf Dahigaon
74		Gallimb
75		Varkhed
76		Ramdoh
77		Gopalpur
78		Khamgaon
79		Nyhali
80		Hingangaon
81		Washim

IndiaCode

82		Gap
83	Shevgaon	Gangapur
84		Nimbhari
85		Devlana
86		Dahigaon
87		Ghevari
88		Bhavani Nimgaon
89		Antre
90		Dadegaon
91		Tajnapur
92		Khuntephal
93		Bodkhe
94		Karjat Kd
95		Dhorhingani
96		Dahiphal
97		Erandgaon
98		Khanapur
99		Karhe takli
100		Dholsade

Annexure -V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.—

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record: Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 : Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006: Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.07.15 17:02:15 +05'30'

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.